

1020
2021

रिपोर्ट पटवारी हल्ला / आई०एल०आर०
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

खाता सं० 415, 416 में खेतदार का नाम विष्णुदत्त पिठयानन्द वर्मा लिखित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार पर, जिनमें प्रार्थी का नाम विष्णुदत्त शर्मा पिठयानन्द वर्मा लिखित है। अतः प्रार्थी की तै निवेदन है कि प्रार्थी का नाम विष्णुदत्त पिठयानन्द शर्मा लिखित वर्मा पुठयानन्द निमा मावे रिपोर्ट प्रीमात्र की मेनाके साथ उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक : 08/11/21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदन का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदन का नाम दुरुस्त किया जाना की अभिराधा की जाती है / की जाती है।

उक्त विषय उचित है।

08/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुन्दुनू (राज.)
:- आदेश :-

दिनांक :- 08/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	धमोरा	2075-78	415, 416	विष्णुदत्त पिठयानन्द	विष्णुदत्त शर्मा पिठयानन्द शर्मा

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 8/11/21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 783-84
लिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया

को सूचनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी